

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -148/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

लखीमनी देवी बनाम तुलसीदास महतो

16.05.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

लखीमनी देवी पति-स्व० चौधरी महतो,
ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु,
अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी
(महतो) पेशा-गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

तुलसीदास महतो पिता-स्व० जगेश्वर महतो,
ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु,
अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी
(महतो) पेशा-नौकरी, वर्तमान पता-नियर जी.टी.
सेन्टर पावर सब स्टेशन कॉलोनी रातु, पो०-रातु,
थाना-रातु, जिला-राँची, झारखण्ड।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-27/12/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता तुलसीदास महतो पिता-स्व० जगेश्वर महतो, ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-नौकरी, वर्तमान पता-नियर जी.टी. सेन्टर पावर सब स्टेशन कॉलोनी रातु, पो०-रातु, थाना-रातु, जिला-राँची, झारखण्ड, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नवाडीह	सोनाहातु/72	22	814	05 डी० चौहद्दी: उ०-बिक्रेता नीज। द०-धनंजय महतो। पू०-नीज बिक्रेता। प०-रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-96(ii) दिनांक-16/03/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत दलवा महतो वो युगल महतो वो लखीदास महतो पे० मोहन महतो वो शुधु महतो वल्द गनधराय महतो वल्द मंगल महतो के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध ससुर-पुत्रवधु का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम दलवा महतो वो चौधरी महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा-13.76½ एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2022-23 तक वसूली गयी है।

२

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पति-पत्नी का है। तथा खयितानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-13.71½ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक घरेलु कार्य हेतु बिक्री कर रही है।


(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक थाना क्षेत्र के निवासी है।


उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता लखीमनी देवी पति-स्व० चौधरी महतो, ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-गृहिणी, को क्रेता तुलसीदास महतो पिता-स्व० जगेश्वर महतो, ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-नौकरी, वर्तमान पता-नियर जी.टी. सेन्टर पावर सब स्टेशन कॉलोनी रातु, पो०-रातु, थाना-रातु, जिला-राँची, झारखण्ड, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-11/01/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि की विक्रेता लखीमनी देवी पति-स्व० चौधरी महतो, ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-गृहिणी, को क्रेता तुलसीदास महतो पिता-स्व० जगेश्वर महतो, ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-नौकरी, वर्तमान पता-नियर जी.टी. सेन्टर पावर सब स्टेशन कॉलोनी रातु, पो०-रातु, थाना-रातु, जिला-राँची, झारखण्ड, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)